कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संरक्षित **अरावली** भूमि पर बने एक निजी विश्वविद्यालय को **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** द्वारा कार्योत्तर मंज़ूरी दी गई थी।

- वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 में संशोधन के बाद से कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने वाली यह हरियाणा की पहली परियोजना है।

प्रमुख बिंदु:

- **पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA), 1900** की धारा 4 और 5 के तहत वर्गीकृत, विश्वविद्यालय 13.6 हेक्टेयर अरावली भूमि पर स्थित है, जो पूर्व अनुमति के **बिना वनों की कटाई**, पुनर्विक्रय तथा भूमि के विखंडन पर रोक लगाता है।
- संशोधित अधिनियम के कारण, **सरकार उन परियोजनाओं या उद्योगों को मंज़ूरी** दे सकती है, जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त किये बिना कार्य करना शुरू कर दिया है तथा **अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समीक्षा के बाद उनके पर्यावरणीय प्रभाव का खुलासा** कर सकती है।
- **समिति ने कुछ शर्तों पर अपनी मंज़ूरी दी:**
    - भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान, **वन्यजीव अभयारण्य,** हाथी **या** बाघ अभयारण्य का हिस्सा नहीं होना चाहिये।
    - विश्वविद्यालय प्रतिपूरक वनीकरण के लिये गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र की पहचान करेगा और उस पर वृक्षारोपण करेगा।
- असाधारण मामलों में **क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालयों को ऐसे प्रस्तावों की जाँच करने और उन पर कार्रवाई करने तथा उचित निर्णयों के लिये टिप्पणियों एवं सिफारिशों** के साथ मंत्रालय को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।
- संशोधित FCA में कहा गया है कि यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार वन के रूप में **"अधिसूचित" भूमि** पर लागू होगा। संशोधित FCA 12 दिसंबर, 1996 से पहले राज्य द्वारा अधिकृत किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा वन से गैर-वन उद्देश्यों के लिये परिवर्तित क्षेत्रों पर लागू नहीं है।
- 12 दिसंबर, 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम टी.एन गोदावरमन** मामले में FCA को ऐसे किसी भी क्षेत्र में लागू करने का आदेश दिया गया, जहाँ इसके **"वन" शब्द को उसके "शब्दकोश के अर्थ"** के अनुसार समझा जाना चाहिये।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/first-project-in-haryana-to-get-post-facto-environmental-clearance